

उत्तर प्रदेश विधान सभा की अनुपूरक कार्य-सूची

शुक्रवार, 09 फाल्गुन, शक संवत् 1941
(28 फरवरी, 2020 ई0)

XXXX

XXXX

XXXX

87(क)-वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

87(ख)-वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करेंगे।

87(ग)-वित्त मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

87(घ)-वित्त मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

XXX

XXX

XXX

लखनऊ:

दिनांक: 28 फरवरी, 2020

आज्ञा से,
(प्रदीप कुमार दुबे)
प्रमुख सचिव।